

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 107] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 19, 1980/फाल्गुन 29, 1901
No. 107] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 19, 1980/PHALGUNA 29, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1980

का. आ. 198(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)
की धारा 87 के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा, जिसमें राज्य सभा के रिक्त
स्थान को भरने के लिए निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम दिया हुआ है, सर्वसाधारण
की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :—

घोषणा

हरियाणा राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के
लिए उप-निर्वाचन ।

“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उप नियम (1)
के खण्ड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,

1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में मैं घोषणा करता हूँ कि :—

श्री हरी सिंह (नाम)

ऋषी नगर, बल्लभगढ़ (पता)

उस सदन में चौधरी बन्सीलाल के पदत्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : हरियाणा विधान सभा

सचिवालय, विधान भवन,

चंडीगढ़-1

तारीख 15 मार्च, 1980

ह./

रिटर्निंग ऑफिसर

[सं. एफ. 13(38)/80-वि. 2]

आर. वी. एस. पेरि सास्त्री, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 1980

S.O. 196(E).—In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected to fill the vacancy in the Council of States is published for general information :—

DECLARATION

Bye-election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Haryana State.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri Hari Singh, (Name)

Rishi Nagar, Ballabhgarh. (Address)

has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the resignation of Chaudhri Bansi Lal.

Place : Haryana Vidhan Sabha,
Secretariat, Vidhan Bhavan,
Chandigarh-1.

Date : 15th March, 1980.

Sd/-

Returning Officer

[No. F. 13(38)/80-Leg. II]

R. V. S. PERI SASTRI, Secy.